अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
24 अकबर रोड नई दिल्ली–110011
मीडिया विभाग

पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु शुक्रवार 13 जनवरी, 2012 सायं–4.15

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित किया ।

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के अन्दर दिल्ली नगर निगम में 50 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण हमने किया है और यह देश में पहली बार ऐसा हुआ है। यह एक बड़ा कदम है कि 50 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण दिल्ली नगर निगम के अन्दर हुआ है और यह जो वायदा पार्टी ने किया था उसकी तरफ यह एक बड़ा कदम है। 33 प्रतिशत का महिलाओं के लिए आरक्षण जो हमारा वायदा है, राज्यसभा के अन्दर वायदे के अनुसार हमने पास कराया है लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल जिनके दोहरे मापदण्ड हैं, जिनके दो चेहरे हैं जनता के बीच में कुछ और कहते हैं और संसद में कुछ और जुबान बोलते हैं, उनकी वजह से अभी तक पास नहीं हो पाया लेकिन सरकार एवं पार्टी की प्रतिबद्धता है, वो हमारा अगला कदम है और इसको भी हम पास करेंगे।

सरकार ने वायदे के मुताबिक अल्पसंख्यक समाज के लिए 4.5 प्रतिशत का आरक्षण किया था जो वायदा हमने 2009 के चुनाव के दौरान अपने घोषणा–पत्र में किया था, उसके अनुसार एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव–आयोग ने उस पर रोक लगा दी है हालांकि यह आरक्षण चुनाव की घोषणा से पहले किया गया था। चुनाव का और इस आरक्षण का चुनाव से कोई संबंध नहीं था। चुनाव–आयोग ने तब तक पांचों प्रदेशों के चुनाव की घोषणा नहीं की थी, उससे पहले यह कदम उठाया गया लेकिन चुनाव–आयोग ने जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक इस पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव–आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसके बावजूद हम कभी चुनाव–आयोग पर ना उंगली उठाते हैं ना आलोचना करते हैं चूंकि संवैधानिक संस्था है। यदि यह लगता है इस आरक्षण पर पाबंदी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन अगर चुनाव–आयोग ने इस पर पाबंदी लगाई है तो चुनाव–आयोग आलोचना से ऊपर है। चूंकि यह एक संवैधानिक संस्था है और उसको यह अधिकार है कि देश के अन्दर निष्पक्ष चुनाव

कराए। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो जो भी कदम उठाना जरूरी समझता है वो चुनाव–आयोग अपनी सोच के अनुसार उठाता है इसलिए उसे हम आलोचना से ऊपर मानते हैं। देश के अन्दर समय के साथ–साथ चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारी तब्दीलियां आईं। एक जमाने के अन्दर देश के बहुत सारे इलाकों में तिकड़म एवं हथियाए जाते थे परन्तु चुनाव–आयोग द्वारा सही दिशा में उठाए गए कदमों के कारण अब देश के अन्दर लगभग इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। यह निष्पक्ष चुनाव कराने की तरफ चुनाव आयोग का काबिले तारीफ कदम है। इससे देश का लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र मजबूत होता है और पूरी दुनिया में हमारे प्रजातंत्र को इज्जत की नजर से देखा जाता है।

अल्पसंख्यक के आरक्षण पर श्री सलमान खुर्शीद द्वारा जारी बयान एवं उस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के विषय में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कोई बात कहता है तो इस प्रश्न का जवाब उन्हीं से लेना चाहिए। पार्टी के अन्दर प्रजातंत्र है। व्यक्तिगत रूप से सब अपनी रय रख सकते हैं। सरकार ने इस विषय में अधिसूचना चुनाव की घोषणा से पहले किया था और उसको एक जनवरी से कार्यान्वित करना था। सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले यह कदम उठाया था। इसलिए चुनाव–आयोग ने इस पर पाबंदी लगाई है परन्तु यह पाबंदी केवल चुनाव होने तक लग सकती है। चुनाव के पश्चात इसको लागू किया जाएगा। चुनाव–आयोग को यह अधिकार है कि चुनाव प्रक्रिया के मध्य जब वो उचित समझता है उस समय अपना कदम उठाता है और फैसला करता है। सलमान खुर्शीद साहब ने अगर कोई बात कही है तो यह मुनासिब होगा कि उन्हीं से इस प्रश्न का जवाब लिया जाए।

बाटला हाउस मुठभेड के विषय में श्री दिग्विजय सिंह एवं गृहमत्री के जारी बयान में मतभेद और मुलायम सिंह का यह कहना कि फर्जी मुठभेड थी, इस विषय में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि जब–जब चुनाव आते हैं इस प्रकार के मुद्दों को निकाला जाता है चुनावी फायदे के लिए। यह मुद्दा कोई नया नहीं है पिछले चुनाव के दौरान भी इस विषय पर विस्तृत रूप से बहस की गई थी। देश में इस पर हंगामे हुए थे, बहुत नाजुक मामला है, समाज एवं देश के अन्दर इस पर अलग–अलग राय है, ऐसे मामलों पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए और इस पर राजनीतिक

फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। श्री दिग्विजय जी ना केवल कांग्रेस पार्टी के महामंत्री ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। परन्तु पार्टी के अन्दर अन्दरूनी प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को पार्टी के अन्दर बोलने का अधिकार है, किसी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कांग्रेस पार्टी सरकार के रूख का समर्थन करती है।

आरबीआई द्वारा चुनाव–आयोग को काले–धन के चुनाव के दौरान इस्तेमाल के विषय में लिखे गए पत्र पर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि काला–धन अगर इस्तेमाल हो रहा है तो चुनाव के दौरान तो इस पर फैसला चुनाव–आयोग करता है। चुनाव–आयोग पूरी ताकत के साथ इस तरीके के काले–धन पर नजर लगाए हुए है। समाचार पत्रों में जो समाचार आ रहे हैं चुनाव–आयोग के निर्देशों पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, काले–धन को पकड़ा जा रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर कोई काले–धन का प्रयोग चुनाव के दौरान करता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान काले–धन के प्रयोग के विरूद्ध है। अगर इसका प्रयोग कोई कर रहा है तो चुनाव–आयोग उसके विरूद्ध कार्रवाई करेगा।

महिला आरक्षण बिल पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि इस पर यहां बहस नहीं की जा सकती। 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण के लिए, राज्यसभा के अन्दर पास किया जा चुका है। लोकसभा में यह मामला लंबित है इसलिए इस पर इसके बाहर कोई बात नहीं हो सकती। राजनीतिक दलों के दोहरे माप–दण्ड के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से इस बिल को राज्यसभा में पास किया गया है, उस तरीके पर बहुत सारी उंगलियां उठी। मार्शल का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा का कहना है कि बिल लोकसभा के अन्दर इस तरीके से पास नहीं होना चाहिए। हम भी यह चाहते हैं कि संसद को अन्दर मार्शल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चाहे वो लोकसभा अथवा राज्यसभा हो। भाजपा हालांकि कहती है कि वो साथ हैं परन्तु बहुत सारी शर्तें लगाती है। लेकिन यह हमारी प्रतिबद्धता है और हम इसको पास करवाएंगे।

पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि चूंकि यह एक दूसरे देश का मामला है, इसलिए इस मामले पर भारत–सरकार एवं विदेश मंत्रालय इस विषय में बेहतर बता पाएंगे।

जनरल बी. के. सिंह के जन्मतिथि के विषय में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि पार्टी की राय है कि रक्षा मंत्रालय एवं फौज के मामले में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम अपने फौजी भाईयों का बहुत आदर करते हैं। वे देश की हिफाजत करते हैं। फौज का एक आम सिपाही हो या उसका चीफ हो, उन सब को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं। इस पर हमारी पक्की राय है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए परन्तु किसी भी राजनीतिक दल को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

हस्त/–
(टॉम वडक्कन)
मीडिया सचिव